

'प्रस्तुत्य 24क
(नियम 85वाँ देखिए)

यह प्रस्तुत्य आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनीतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. राजनीतिक दल का नाम : आजादी का अंतिम आन्दोलन दल

2. राजनीतिक दल की प्राचीनता

(मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) : अमान्यताप्राप्त

3. राजनीतिक दल के मुख्यालय का पता घम. आई. जी., डी. 27, श्वेतांग नगर रायपुर (छंग)

4. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल के

रजिस्ट्रीकरण की तारीख 01. 02. 2013

5. स्थायी खाता सं.(पैन) और वह आय-कर वार्ड/

संकिल जहां राजनीतिक दल की विवरणी फाइल

की जानी है..... AADAAISISA - वार्ड 1(1) रायपुर

6. वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, व्यारे -

क्रम सं.	अभिदायी व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / संकिल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चैक/ मांगदेय द्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
		NIL			

* चैक/ मांगदेय द्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय द्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239के अधीन अधिकथित जर्ता का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

मैं, इमरन पार्हा¹ (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री सत्यापिता से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से अध्यक्ष की अपनी हैसियत में इस प्रस्तुति को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं।

मैरुन पार्हा
(क्रमावृक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीख : 28.09.2017

स्थान : रायपुर

इमरन पार्हा

अध्यक्ष,
आजादी का अंतिम आन्दोलन दल
मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)

¹ अधिसूचना सं. का० आ० 1283 (अ), तारीख 10 नवंबर, 2003 द्वारा अंतःस्थापित।